

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

क्रमांक:- प.3(ई) ()/APAR/ डीपीसी/ 2019-20/ 807

दिनांक:- 06/04/2023

परिपत्र

विषय:- राजस्थान अधीनस्थ लेखा संवर्ग के कार्मिकों द्वारा ऑनलाईन APAR के संबंध में जारी किये जाने वाले दिशा निर्देश।

कार्मिक विभाग के निर्देशानुसार सभी कर्मचारी/अधिकारियों को वर्ष 2021-22 से ऑनलाईन APAR भरने के निर्देश प्राप्त है। वर्ष 2021-2022 से राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के कार्मिकों की ऑनलाईन APAR को स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा स्वीकार करने के उपरान्त अधिकांश कार्मिकों द्वारा APAR का अवलोकन कर सहमति/असहमति प्रदान नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप APAR की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती है।

अतः राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के समस्त कार्मिक राजकाज पोर्टल पर Knowledge Bank शीर्षक के अन्तर्गत वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट के उपशीर्षक APAR-Reportee-Final Review में दी गई प्रक्रिया अनुसार APAR का अवलोकन कर सहमति/असहमति प्रदान करे, जिससे कि APAR की प्रक्रिया पूर्ण हो सके।

अन्य निर्देश :-

- 1- APAR भरने से पूर्व राजकाज एप पर राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के कार्मिक Profile में नियुक्तकर्ता विभाग (Appointing Deptt.) में Treasury and Accounts Department का चुनाव करें। कुछ कार्मिकों द्वारा वर्ष 2021-22 की APAR भरते समय नियुक्तकर्ता विभाग (Appointing Deptt.) निदेशक कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर के स्थान पर कार्यरत विभाग/वर्तमान पदस्थापन विभाग चुना गया है ऐसे कार्मिकों की APAR प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी है।
- 2- यदि कार्मिक द्वारा APAR भरते समय प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकारकर्ता अधिकारी अथवा विभाग के नाम में कोई त्रुटि हो गई हो तो aparhelpdeskdt1296@gamil.com पर मेल कर सुधार की कार्यवाही हेतु निवेदन करें।
- 3- यदि कार्मिक की राजकाज सम्बन्धी Profile में कोई विवरण यथा नियुक्ति तिथि, जन्म तिथि एवं पद आदि गलत भर दिया गया हो तो ddit.dta@rajasthan.gov.in पर मेल कर सुधार की कार्यवाही हेतु निवेदन करें।
- 4- नये वित्तीय वर्ष की APAR भरने की प्रक्रिया हेतु <https://rajraj.rajasthan.govt.in/knowledge-bank.php> की सहायता से ऑनलाईन APAR प्रेषित करें ताकि संबंधित कार्मिकों की एसीपी, पदोन्नति एवं अन्य विभागीय कार्य समय पर सम्पादित हो सकें।
- 5- सभी कार्मिक अपने-अपने पद/नाम के प्रथम अक्षर के अनुरूप Mark to Authority का सही चुनाव करें।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त
शासन सचिव

क्रमांक:- प.3(ई) ()/APAR/ डीपीसी/ 2019-20/ 807

दिनांक:- 06/04/23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप निदेशक, कार्मिक-I/गोपनीय शाखा को कनिष्ठ लेखाकार के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन/सूचनाएँ तैयार करने हेतु।
2. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. निजी सचिव निदेशक।
4. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।



(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)